झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
रिट याचिका (सिविल) संख्या 3812/2015

श्रीमती. हेमा सेठी, पति दिवंगत पंचू सेठी, निवासी बहलडीह खुदाबारी, डाकघर एवं थाना नवागढ़, जिला धनबाद

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, मुनिडीह कोलियरी, डाकघर मुनिडीह,थाना मुनिडीह, जिला धनबाद।
2. परियोजना अधिकारी, मेसर्स बी.सी.सी.एल., मुनिडीह कोलियरी, डाकघर मुनिडीह,थाना मुनिडीह, जिला धनबाद।
3. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, डाकघर एवं थाना श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ

... उत्तरदाता

कोरम माननिय न्यायधीश डॉ एस एन पाठक

याचिकाकर्ता के लिएः सुश्री महुआ पलित

प्रत्यर्थियों के लिए: श्री अनिल कुमार, ए. एस. जी. आई.
श्री रवि प्रकाश, सी. जी. सी.
श्री अर्पन मिश्रा, अधिवक्ता

06/11.01.2024 : पक्षों को सुना

2. याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का रुख करते हुए 6/25.05.2015 की तारीख का आदेश रद्द करने की प्रार्थना की है, जो केंद्रीय धनबाद के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के कार्यालय से जारी किया गया था, जिसके द्वारा प्रतिवादी बीसीसीएल द्वारा भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत अपील को मंजूरी दी गई है और 17.05.2013 को नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द और निरस्त कर दिया गया है।

3 अनावश्यक विवरणों को छोड़ते हुए, याचिकाकर्ता के पति, स्व. पंचु सेठी 31.01.1973 से प्रतिवादी बीसीसीएल के तहत लाइन मजदूर के रूप में कार्यरत थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके पति का नाम फॉर्म 'बी' रजिस्टर में दर्ज था और उनके पति के पक्ष में पहचान पत्र भी जारी किया गया था। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उनके पति को 10.02.1992 से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और इसके बाद,19.07.1992 को उनका निधन हो गया। अपने पति के निधन के बाद, याचिकाकर्ता ने अपने मृत पति की ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष फॉर्म IX में आवेदन प्रस्तुत किया। जब प्रतिवादियों द्वारा उनके दिवंगत पति की ग्रेच्युटी के लाभों को बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो याचिकाकर्ता ने भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत नियंत्रक प्राधिकरण का रुख किया और उक्त प्राधिकरण ने पक्षों को सुनने के बाद 17.05.2013 की तारीख को याचिकाकर्ता का आवेदन स्वीकार किया और प्रतिवादियों को ग्रेच्युटी की राशि की गणना करने और उसे 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को भुगतान करने का निर्देश दिया।

4. हालांकि, प्रतिवादियों ने नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन करने के बजाय, क्षेत्रीय आयुक्त, केंद्रीय धनबाद के समक्ष अपील संख्या 28/13 दायर की और विद्वत अपीलीय प्राधिकरण ने 06.05.2015 की तारीख को प्रतिवादियों द्वारा दायर की गई अपील को स्वीकार किया और नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा पारित 17.05.2013 के आदेश को निरस्त कर दिया। इसलिए, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश किया गया है।

5. याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित अधिवक्ता, श्रीमती मोहुआ पलित, विवादित आदेश को चुनौती देते हुए तर्क करती हैं कि हालांकि याचिकाकर्ता के पति को सेवाओं से बर्खास्त किया गया है, लेकिन वह भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 4(6) के तहत ग्रेच्युटी के लिए हकदार हैं। अधिवक्ता आगे तर्क करती हैं कि याचिकाकर्ता के पति की बर्खास्तगी की तारीख के कुछ महीनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई और इसलिए, बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई क्योंकि याचिकाकर्ता एक अशिक्षित महिला थीं और उन्हें कानूनी उपायों की जानकारी नहीं थी। अधिवक्ता आगे तर्क करती हैं कि केंद्रीय धनबाद के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ने यह ध्यान में रखने में विफलता दिखाई कि ग्रेच्युटी की राशि याचिकाकर्ता को भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत दी जानी चाहिए और प्रतिवादियों को इसे जब्त करने का अधिकार नहीं है।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी बीसीसीएल के लिए उपस्थित अधिवक्ता श्री श्रय मिश्रा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्क का जोरदार तरीके से विरोध करते हुए तर्क करते हैं कि चूंकि याचिकाकर्ता के पति को अनुशासनहीनता के आधार पर सेवा से बर्खास्त किया गया था, जैसा कि बीसीसीएल के कार्यकर्ताओं के लिए प्रमाणित स्थायी आदेशों की धारा 26.1.6 में उल्लेखित है, जो नैतिक पतन का अपराध बनाता है, इसलिए ग्रेच्युटी की देय राशि को सही तरीके से जब्त किया गया है। अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के पति को आरोपों का दोषी ठहराया गया था और बर्खास्तगी का आधार पूरी तरह से स्थापित किया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता जालसाजी, बेईमानी और रोजगार के उद्देश्य से गलत जानकारी देने का दोषी पाया गया था। याचिकाकर्ता एक प्रतिरूपक थी और यह भी स्थापित किया गया था, इसलिए ग्रेच्युटी की राशि भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जब्त की गई है।

7. पक्षों के लिए उपस्थित अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेजों की समीक्षा करने पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस तात्कालिक रिट आवेदन में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। निस्संदेह, याचिकाकर्ता के पति को 10.02.1992 से प्रतिवादी बीसीसीएल की सेवा से सिद्ध अनुशासनहीनता के लिए बर्खास्त किया गया था और इसके बाद, उनकी मृत्यु 19.07.1992 को हुई। याचिकाकर्ता के पति ने स्वयं की पहचान छिपाकर और गलत जानकारी देकर बीसीसीएल में नौकरी प्राप्त की। याचिकाकर्ता के पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को जांच के दौरान उचित रूप से सिद्ध किया गया था। बर्खास्तगी का यह आदेश कभी भी याचिकाकर्ता या उनके पति द्वारा चुनौती नहीं दी गई।

8. वाई. पी. साराभाई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने (2006) 5 एस. सी. सी. 377 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि बर्खास्त कर्मचारी ग्रेच्युटी प्राप्त करने का हकदार नहीं है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैरा इस प्रकार हैः

> *"11. हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है। अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील के बर्खास्तगी के आदेश के बावजूद, हमें लगता है कि अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना को न्याय के*

उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता को 4-9-1998 को सेवा से बर्खास्त किया गया था। वह इन सभी वर्षों में बर्खास्तगी के आदेश के कारण बिना वेतन हैं। अपीलकर्ता के अनुसार, उनकी पत्नी का भी कैंसर से निधन हो गया। यह स्थापित कानून है कि जो व्यक्ति सेवा से बर्खास्त होता है, उसे केवल भविष्य निधि प्राप्त करने का अधिकार होता है, लेकिन कोई ग्रेच्युटी नहीं। इस मामले में, अपीलकर्ता को देय कुल भविष्य निधि की राशि 3,36,158 रुपये है और ग्रेच्युटी की राशि 1,49,215 रुपये है। अपीलकर्ता विभिन्न ऋणों के लिए बैंक को बकाया राशि के रूप में 2,60,228 रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जो उसने बैंक से प्राप्त किए थे।इसलिए, 3,36,158 रुपये की कुल भविष्य निधि से 2,60,228 रुपये की राशि को घटाने के बाद शेष राशि 75,930 रुपये आती है। अपीलकर्ता अब 58 वर्ष की आयु पार कर चुका है और इस समय नई नौकरी पाना भी उसके लिए संभव नहीं है। इस मामले के सभी विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमें लगता है कि यदि हम बैंक को 1,50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हैं, जिसमें बैंक के देय ऋण राशि को समायोजित करने के बाद शेष भविष्य निधि की राशि 75,930 रुपये शामिल है, तो यह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि अपीलकर्ता के पास बैंक के खिलाफ आगे कोई अन्य दावा नहीं होगा। इस दीर्घकालिक मुकदमे को समाप्त करने के लिए, हम बैंक को निर्देश देते हैं कि वह अपीलकर्ता को मांग पत्र द्वारा 1,50,000 रुपये का भुगतान करे, जो दोनों पक्षों के बीच सभी दावों का पूर्ण और अंतिम निपटान होगा। यदि अपीलकर्ता द्वारा भविष्य निधि और ऋण राशि के संबंध में देय राशि में कोई विसंगति है, तो अपीलकर्ता बैंक से किसी भी स्पष्टीकरण के लिए संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है और यदि अपीलकर्ता से ऐसा पत्र प्राप्त होता है, तो बैंक इसे विचार करेगा और यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करेगा।"

इसलिए, आर. विश्वनाथ पिल्लई बनाम राज्य केरल एवं अन्य**, (2004) 2** एससीसी **105** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अधिकार एक वैध नियुक्ति से उत्पन्न होता है, न कि एक अमान्य नियुक्ति से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिता मिश्रा बनाम निदेशक**,** प्राथमिक शिक्षा**,** बिहार के मामले में पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय की भी जांच की, जो एआइआर **1988 Pat. 26** में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि वेतन, पेंशन और अन्य लाभों का अधिकार पूरी तरह से सार्वजनिक सेवा में वैधानिक स्वभाव का है। इसलिए, ये अधिकार पद के लिए वैध और कानूनी नियुक्ति से उत्पन्न होते हैं। आर. विश्वनाथ पिल्लई बनाम राज्य केरल एवं अन्य (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का संबंधित पैरा निम्नलिखित है:

17. यह बिंदु फिर से पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा रिता मिश्रा बनाम निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार [एआइआर 1988 Pat 26 : 1988 लैब आइसी 907 : 1987 बीबीसीजे

701 (FB)] में जांच की गई। पूर्ण पीठ के समक्ष प्रश्न था कि क्या एक सार्वजनिक सेवक को उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए वेतन का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है, भले ही उसकी नियुक्ति पत्र जाली, धोखाधड़ी या अवैध हो। पूर्ण पीठ ने कहा: (एआइआर पृष्ठ 32, पैरा 13)

> *"13. उपरोक्त से स्पष्ट है कि वेतन, पेंशन और अन्य सेवा लाभों के अधिकार पूरी तरह से सार्वजनिक सेवा में वैधानिक स्वभाव के होते हैं। इसलिए, ये अधिकार, जिसमें वेतन का अधिकार भी शामिल है, पद के लिए एक वैध और कानूनी नियुक्ति से उत्पन्न होते हैं। एक बार जब यह पाया जाता है कि स्वयं नियुक्ति अवैध है और कानून की दृष्टि में अस्तित्वहीन है, तो वेतन या पेंशन और अन्य मौद्रिक लाभों के लिए कोई वैधानिक अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकता। विशेष रूप से, यदि स्वयं नियुक्ति जालसाजी पर आधारित है, तो इससे कोई वैधानिक अधिकार नहीं उत्पन्न हो सकता।"*

इस न्यायालय ने मनोहर सिंह नीच (टक) बनाम क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी) धनबाद सह अपीलीय प्राधिकरण और अन्य के मामले में**,** जो **2004 (4)** जेसीआर **320 (**झारखंड) में रिपोर्ट किया गया है, यह निर्णय दिया कि भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 4(6)(b) यह अनुबंध करती है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवाएँ किसी ऐसे कार्य के लिए समाप्त की गई हैं जो नैतिक पतन से संबंधित अपराध का गठन करता है, तो उस कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी पूरी या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है, बशर्ते कि ऐसा अपराध उसके रोजगार के दौरान किया गया हो। माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 3(6)(b) के अनुसार जब नैतिक पतन से संबंधित अपराध के लिए सजा होती है, तो ग्रेच्युटी अपने आप जब्त हो जाती है और इसके लिए अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होती।

9. इस मामले में, चूंकि याचिकाकर्ता के पति ने स्वयं की पहचान छिपाकर नौकरी प्राप्त की, जो प्रतिवादियों द्वारा की गई जांच में सिद्ध किया गया है, स्थापित कानून के सिद्धांतों के अनुसार, याचिकाकर्ता अपने दिवंगत पति की ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं हैं और सही रूप से इसे प्रतिवादियों द्वारा जब्त किया गया है।

10. उपरोक्त टिप्पणियों, नियमों, दिशानिर्देशों-, कानूनी प्रस्तावों और न्यायिक निर्णयों के अनुक्रम में, यह न्यायालय अपीलीय प्राधिकरण की टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत है और इसमें कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

11. अतः, याचिका बिना किसी योग्यता होने के कारण इसे यहाँ पर खारिज किया जाता है।

(डॉ एस एन पाठक**,** न्यायधीश**)**

कुणाल

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|